रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 21, 1999/वैशाख 31, 1921

No. 269] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 21, 1999/VAISAKHA 31, 1921

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 1999

का.आ. 361(अ).—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

माननीय न्यायमूर्ति श्री के. राममूर्ति

विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत

विचारणीय मामला—नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन. आर. एस. सी. एन.)

भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने 27 नवम्बर, 1998 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें इसने विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन0एस0सी0एन0) और इसके विभिन्न नेताओं के नेतृत्व वाले धड़ों, स्कंधों, मोर्चा संगठनों (इसके पश्चात इन्हें एन0एस0सी0एन0 कहा गया है) को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया। अधिसूचना इस प्रकार है :-

"का0आ0 1011(अ) यतः नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड और विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में इसके सभी गुट और विंग, जिन्हें इसमें इसके पश्चात

1529 GI/99.

एन•एस•सी•एन• कहा गया है और एन•एस•सी•एन• या उसकी ओर से या उसके नाम से कार्य करने के लिए तात्पर्यित अभिकरण :-

(1) नागा प्रभुता वाले क्षेत्रों, जो भारतीय भू-भाग का हिस्सा है, को भारत से विलग करने के अपने नीतिगत उद्देश्यों की घोषणा करते रहे हैं,

(2) ऐसे क्रियाकलापों में लगे हुए हैं जो भारत की प्रभुता और अखण्डता को विच्छिन्न करने के लिए आशयित हैं,

(3) अपने उद्देश्य के अनुसरण में, उस अवधि में जब इन्हें विधि-विरुद्ध संगठन घोषित किया गया था, विधि-विरुद्ध एवं हिंसक कार्यकलापों में संलिप्त रहे हैं और इस प्रकार विधिपूर्ण रूप से गठित सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचायी है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों में डर और आतंक फैलाया है ।

केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि हिंसक और विधि-विरुद्ध कार्यकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(क) नागालैंड, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश और असम के भागों में व्यवसायियों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों समेत जनता से धन ऐंठना और अवैध कर का संग्रहण करना,

(ख) अल्फा, बोडो उग्रवादियों, मैतेयी, त्रिपुरा और खासी के उग्रवादी गुटों जैसे पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों के साथ संबंध बनाए रखना और उन्हें अधिक मजबूत करना, तथा इन गुटों को समर्थन देना,

(ग) पड़ोसी देशों में आश्रय स्थलों, छुपने के ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों को स्थापित करना,

(घ) विदेश स्थित गुप्त/अवैध माध्यमों से अत्याधुनिक हथियारों सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद प्राप्त करना और उन्हें कुछ पड़ोसी देशों के रास्ते मणिपुर और नागालैंड में गुप्त रूप से भेजना,

(ङ) विदेशों में भारत विरोधी प्रचार के लिए यू0एन0 कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, द वर्किंग ग्रुप ऑन इनडीनियस पीपुल्स आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग करना,

(च) मणिपुर और नागालैंड में नागा और कुकी जनजातियों के मध्य उत्तेजक सांप्रदायिक झगड़े कराने के लिए नागा ग्रामीणों को सक्रिय सहयोग देना,

और यतः, केन्द्रीय सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर इसका भी यही मत है कि एन॰एस॰सी॰एन॰ की गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता विरोधी हैं तथा यह एक विधि विरुद्ध संगम है ।

अतः अब, विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन0एस0सी0एन0) को इसके सभी गुटों, प्रखण्डों एवं अग्रणी संगठनों सहित एक विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है ।

और यतः केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि इस पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो इसे :-

(1) अलगाववादी, विध्वंसक और आतंकवादी/हिंसक गतिविधियों का बढ़ावा देने के लिए अपने संवर्गों को लामबंद करने,

(2) भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखण्डता के प्रतिकूल विचारों वाली शक्तियों के सहयोग से खुलकर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने,

§3§ विदेशों से और अधिक अवैध हथियार व गोला बारूद प्राप्त करने,

§4§ विदेशी एजेंसियों के षडयंत्र से विदेशों में भारत विरोधी प्रचार के स्तर को और बढ़ाने,

§5§ अपनी विधि-विरूद्ध गतिविधियों के लिए जनता से लूट खसोट करने और भारी धन और अवैध करों का संग्रह करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा ।

और यतः, उपरोक्त परिस्थितियां को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की यह दृढ़ राय है कि एन0एस0सी0एन0 और इसके सभी गुटों और विंगों को तुरंत प्रभाव से विधि विरूद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है तथा तदनुसार धारा 3 की उपधारा §3§ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अध्यधीन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

इस अधिकरण का गठन अधिसूचना की अभिपुष्टि के प्रश्न पर विचार करने के लिए विधि विरूद्ध कार्यकलाप §निवारण§ अधिनियम, 1967 की धारा 4 के तहत किया गया है ।

संबंधित पक्षों के नोटिस जारी कर जांच पड़ताल की गई थी । जांच के दौरान नागालैंड सरकार ने निम्नलिखित गवाहों और दस्तावेजों की पड़ताल की जो प्र0 1 से 8 तक दर्शाए गए हैं ।

1. पी॰डब्ल्यू॰ 2 श्री डी0 अहमद
2. पी॰डब्ल्यू॰ 3 श्री आई॰तोशित सुंगवा आईर
3. पी॰डब्ल्यू॰ 4 श्रीमती शीलैमला पोंजेनर

केन्द्र सरकार ने शपथ पत्र फाइल करने के अलावा जिसमें परिस्थितियां स्पष्ट की गई हैं, श्री रामफल की पी॰डब्ल्यू॰1 के रूप में जांच की ।

प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और मौखिक साक्ष्य निःसंदेह यह साबित कर देंगे कि एन•एस•सी•एन• दल का होने का दावा करने वाले उग्रवादी हत्या, लूट-पाट, शस्त्रों को छीनने और लोगों की जिंदगी दयनीय बनाने के दोषी हैं और इन कार्यकलापों से राज्य की प्रगति में बुरी तरह व्यवधान पड़ रहा है । आचार्य विनोबा भावे तथा लोक नायक जय प्रकाश नारायण के महान उदाहरणों का अनुगमन करते हुए इन उग्रवादियों का उन शक्तियों द्वारा जो हमारे पास हैं, राष्ट्रीय धारा में लाना होगा और इन बहकाए हुए उग्रवादियों को सुधारना होगा । इन उग्रवादियों को उन पूर्वजों के आदर्शों पर चलना होगा जिन्होंने देश के लिए महान त्याग किए हैं।

यह समाधि क्षेत्र कोहिमा में पाए गए स्मृति लेख से यह देखा जा सकता है कि पहले समय के लोगों में आने वाले लोगों के कल्याण के लिए कुछ भी करने की महान प्रवृत्ति थी। यह इस प्रकार है :

"जब आप घर जायें,
उन्हें हमारे बारे में बतायें और कहें,
उनके कल के लिए हमने अपना आज दिया"

सभी लोगों में ऐसी ही भावना होनी चाहिए और इस देश के नागरिकों के रूप में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र की प्रगति के लिए एक पक्की नींव रखने के लिए भावी पीढ़ियों हेतु भावी उपलब्धियों के लिए एक स्वार्थपूर्ण आधार की जगह उच्च आदर्श प्रस्तुत करना होगा। यहां तक कि 27•4•1999 के समाचार पत्र में उग्रवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मारे जाने की रिपोर्ट दी गई है फिर भी मैं आशा करता हूँ कि इन उग्रवादियों को अपने पूर्वजों का अनुसरण करने की उचित सलाह दी जाएगी जिन्होंने "सत्यम वदः" (सच बोलो) और "धर्माचार" (धर्म के रास्ते पर चलो) का पालन किया था जैसाकि सत्य सांइ बाबा ने बार-बार इसका उल्लेख किया है ।

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) से संबंधित रिपोर्ट में मेरे द्वारा की गई टिप्पणियां इस संगठन के लिए भी लागू होंगी और विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की अभिपुष्टि करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है ।

(के0 राममूर्ति)
अध्यक्ष

17 मई, 1999

[सं. 7/12/98-एन ई. I]
अजय श्रीवास्तव, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 1999

S.O. 361(E).—The following is published for general information :—

BEFORE HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAMOORTHY
UNLAWFUL ACTIVITIES [PREVENTION] TRIBUNAL :

IN THE MATTER OF :

NATIONAL SOCIALIST COUNCIL OF NAGALAND (NSCN)

The Government of India, Ministry of Home Affairs, issued a Notification on the 27th day of Nove mber 1998 declaring the that National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and all factions, wings and front organisations thereof under various leaders (hereinafter referred to as NSCN) as unlawful association, by virtue of power conferred on the Govt. of India under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The Notification reads as under:-

"S.O.1011(E).- Whereas the National Socialist Council of Nagaland, and all factions, wings and front organisations thereof under various leaders (hereinafter referred to as NSCN) and the agencies purporting to act in or on behalf of the NSCN or in its name:

(1) has been declaring as its policy objectives - **secession** of the Naga inhabited areas, a part of the territory of India, from India;

(2) has been engaging in unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

(3) in pursuance of its aims and objectives engaged in several unlawful and violent activities during the period when it had been declared as unlawful association, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives.

And whereas the Central Government is of the opinion that violent and unlawful activity include:

(a) extortion of funds and collection of illegal tax from the public including businessmen, traders and Government officials in Nagaland, Manipur and parts of Assam and Arunachal Pradesh;

(b) maintaining and further strengthening links with the other North-East insurgent groups like the United Liberation Front of Assam, Bodo militants, Meitei, Tripura and Khasi extremist groups and extending support to them;

(c) maintaining sanctuaries, safe havens and training camps in the neighbouring countries;

(d) procuring large number of arms and ammunition, including sophisticated ones, through clandestine/illegal channels abroad and inducting them secretly into Manipur and Nagaland through some neighbouring countries;

(e) utilising international forum like the United Nations Commission on Human Rights, the Working Group on Indigenous peoples etc. for anti-India propaganda abroad;

(f) extending active support to Naga villagers for causing and formenting communal clashes between the Naga and Kuki tribals in Manipur and Nagaland.

And whereas the Central Government is also of the opinion that on the basis of material placed before it, the activities of NSCN are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) including all its factions, wings and front organisations

to be an unlawful association;

And whereas the Central Government is further of the opinion that if there is no immediate curb and control, it will take the opportunity to;

(1) mobilise its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;

(2) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(3) procure and induct more illegal arms and ammunition from across the international borders;

(4) raise anti-India propaganda abroad in connivance with foreign agencies;

(5) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities;

And whereas, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the firm opinion that it is necessary to declare the NSCN, and all its factions, wings and front organisations to be unlawful with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso of sub-section (3) of section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette."

The Tribunal has been constituted under Section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 to consider the question of confirmation of the Notification.

Notices were issued to the parties concerned and the Inquiry was conducted. In the Inquiry, the Govt. of Nagaland examined the following witnesses and

documents Ex. P.1 to P.8 have been marked.

1. PW.2 Mr. D. Ahmed
2. PW.3 Mr. I. Toshitsungba Aier
3. PW.4 Mrs. Meilemla Pongener

The Central Government apart from filing the affidavit explaining the circumstances examined Mr. Ram Phal as PW.1.

The documents and the oral evidence adduced would prove beyond all doubt that the extremists claiming to belong to NSCN Group are guilty of committing serious offences of murder, extortion, snatching of arms and making the lives of the people miserable and the progress of the State is serious hampered by these activists. These activists have to be brought to the national stream by the powers that we have by following the great examples of Acharya Vinobha Bhave and Lok Nayak Jai Prakash Narayan and reform these misguided extremists. These extremists have to follow the examples of the ancestors who had made great sacrifices for the sake of the country.

It is evident from the epitaph found in the War Cemetery, Kohima how the people of yester years had the glorious attitude to do anything for the well being of the future generations. It reads:-

"When you go home,
Tell them of us and say,
For their tomorrow we gave our today".

Such should be the attitude of all the people and we have tremendous responsibility as citizens of this

country. To lay strong foundation for the progress of the nation and leave not only a sordid base for future achievements but lofty ideals for the posterity. Even in the newspaper dated 27.4.1999 killings of BSF personnel have been reported by the extremists and I hope these extremists would be well advised to follow the fore-fathers who had followed the principle of 'SATYAM VADHA' (speak the truth) and 'DHARMAMCHARA' (follow righteous path) as often stated by Sri Sathya Sai Baba.

The observations made by me in the Report relating to United Liberation Front of Asom (ULFA) would apply equally to this Organisation and I have no hesitation in confirming the Notification issued by the Govt. of India under section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

May 17, 1999.
'g'

(K. RAMAMOORTHY)
CHAIRMAN

[No. 7/12/98-NE. I]
AJAI SRIVASTAVA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054